मां नर्मदा को आढ़ाई 1100 मीटर चुनरी

बड़वानी। प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा का जन्मोत्सव रविवार को जिलेभर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर से लगे राजघाट किनारे और जागीरदारपुरा नवीन घाट पर खासी रौनक देखने को मिली। नर्मदा तटों पर एक हजार मीटर चुनरी अर्पण कर दुग्धाभिषेक कर महाआरती व प्रसादी वितरण किया गया। मां नर्मदा जागीरदारपुरा घाट पर विधायक राजन मंडलोई अपने पत्नी पल्लवी मंडलोई के साथ मां नर्मदा को 1100 मीटर चुनरी अर्पण की। मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक कर हवन.पूजन में शामिल हुए। पर्व को लेकर बैकवाटर व जागीरदारपुरा तट पर सुबह से शाम तक हजारों श्रद्धालु नर्मदा स्नान, पूजन-अर्चन के लिए पहुंचे। जागीरदारपुरा तट पर 108 रामदास त्यागी श्रीराम बाबा के सानिध्य में सुबह 10 से 11 बजे तक पंडित अंकित शर्मा ने नर्मदा पुराण का समापन किया। इसके बाद हवन की पूर्णाहुति की गई। पश्चात कलश यात्रा के रुप में मां नर्मदा को चुनरी अर्पण कर दुग्धाभिषेक कर महाआरती की गई। कन्या पूजन के साथ प्रसादी वितरण किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसए होमगार्ड व एसडीईआरएफजवान तैनात रहे। बोट के माध्यम से जवानों ने तटों पर सुरक्षा व्यवस्था संभाली।

सोना-चांदी आसमान पर, शादियों से पहले सराफा बाजार सूना

कीमतों में बेतहाशा उछाल से आम खरीदार दूर, केवल मजबूरी में हो रही खरीदारी

बड़वानी, (नवभारत)।
शादियों के शुभ मुहूर्त शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन इसके बावजूद सराफा बाजार में रौनक नजर नहीं आ रही है। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार हो रही तेज बढ़ोतरी ने आम आदमी की पहुंच से गहनों को दूर कर दिया है। शनिवार को 24 कैरेट सोना 162500 रुपए प्रति दस ग्राम एवं 22 कैरेट सोना 148000 और चांदी 3 लाख 22 हजार रुपए प्रति किलो के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जिससे बाजार में खरीदी बेहद कमजोर हो गई है।

सराफा दुकानों पर अब केवल वहीं ग्राहक नजर आ रहे हैं, जिनके यहां विवाह तय है और गहने खरीदना मजबूरी बन चुका है। ऐसे ग्राहक भी गहनों के वजन और डिजाइन में समझौता कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भारी गहने खरीदना अब सपने जैसा हो गया है।

कई लोग पुराने गहनों के बदले नए गहने लेने का विकल्प तलाश रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्वेलर्स पुराने गहने खरीदने में भी हिचकिचा रहे हैं।

व्यापार का तरीका बदला

सराफा व्यापार पहले साख और बुकिंग के भरोसे चलता था, लेकिन अब भाव में रोजाना हो रहे उतार-चढ़ाव से जोखिम बढ़ गया है। इस कारण ज्वेलर्स ने पहले से बुकिंग लेना लगभग बंद कर दिया है। अब केवल नकद में ही खरीदी-बिक्री हो रही है और उसी दिन के भाव पर सौदा तय किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि एक सप्ताह में ही कीमतों में बड़ा अंतर आ रहा है, जिससे बुकिंग घाटे का सौदा साबित हो रही है।

उधारी के नियम भी सख्त

सराफा बाजार में उधारी पर होने वाला व्यापार भी प्रभावित हुआ है। व्यापारी उधार देने से इंकार तो नहीं कर रहे, लेकिन शर्त ये रखी जा रही है कि भुगतान जिस दिन होगा, उसी दिन के भाव के अनुसार राशि ली जाएगी। इससे खरीदारों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।

विवाह की तैयारियों पर असर

4 फरवरी के बाद जिन परिवारों में शादियां हैं, उन्होंने गहनों की पसंद बदल दी है। पहले जहां 10 ग्राम की अंगूठी खरीदी जाती थी, अब 5-6 ग्राम पर संतोष किया जा रहा है। यही स्थिति हारए चूडियां और अन्य आभूषणों की भी है। भाव अब पसंद पर भारी पड़ रहा है।

पहले खरीदने वाले राहत में

जिन लोगों ने अगस्त या अक्टूबर में गहनों की खरीदी कर ली थी, वे आज राहत महसूस कर रहे हैं। उस समय की तुलना में आज कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। वहीं जो लोग इंतजार करते रहे, उनके लिए अब गहने खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है। फरवरी से जुलाई तथा नवंबर-दिसंबर तक कई शुभ विवाह मुहूर्त हैं, लेकिन महंगाई के चलते इन तारीखों का लाभ सराफा बाजार को फिलहाल मिलता नहीं दिख रहा है।

अब सपने जैसा

- मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए गहने खरीदना सपने जैसा।
- अब केवल नगद में ही खरीदी-बिक्री हो रही है।

अवैध हथियारों के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई

महाराष्ट्र से चोरी कर लौट रहे 5 आरोपियों को जुलवानिया पुलिस ने किया गिरफ्तार

बड़वानी, (नवभारत)।
24 जनवरी 2026 को थाना जुलवानिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पांच व्यक्ति अवैध हथियार लेकर जुलवानिया में घूम रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़कर पुछताछ की। जिसमें आरोपियों ने महाराष्ट्र के अहमदनगर (अहिल्यानगर) से सूनसान मकान का ताला तोड़कर चोरी किए गए सोने-चांदी और नगदी लाने की बात स्वीकार की।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध थाना जुलवानिया पर अप क्रं. 22/2026, धारा 25(1),(ए), 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। चोरी किए गए माल के संबंध में धारा 106 बीएनएसएस के तहत भी कार्रवाई की। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमाण्ड लिया। पुलिस ने बताया कि हिरु पिता झेतु भुरिया, जाति भील उम्र 30 वर्ष निवासी काकड़वा, थाना टाण्डा जिला धार, कलम पिता थोबु भुरिया जाति भील उम्र 42 वर्ष निवासी काकड़वा थाना टाण्डा जिला धार, प्यारसिंह पिता जालम अलावा जाति भील निवासी काकड़वा थाना टाण्डा जिला धार, मगरसिंग उर्फ मंगलसिंह अजनारे पिता ठाकुर जाति भील निवासी काकड़वा थाना टाण्डा जिला धार एवं आरिफ पिता बसु भुरिया जाति भील निवासी काकड़वा थाना टाण्डा जिला धार को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 9 एमएम पिस्टल 100000 रूपए, देशी पिस्टल 15000 रूपए, 3 हस्त निर्मित देशी कट्टा मय 3 जिंदा कारतूस 30000 रूपए, नगदी 138860 रूपए, सोने के आभूषण 201 ग्राम 3200000 रूपए, चांदी के आभूषण 1.284 केजी 408000 रूपए, चोरी में प्रयुक्त औजार व अन्य सामग्री, कैनरा बैंक का खाली चैक एवं एन्ड्रॉयड मोबाइल (विवो) जब्त किया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी जुलवानिया रामकुमार पाटिल, उनि अशोक खेड़कर, सउनि संजय कुमरावत, सउनि राजेश नैय्यर, प्रआर सतीश पाटीदार, प्रआर कमल डावर आदि की भूमिका रही।

लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज़
बड़वानी, 26 जनवरी.
जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में महिला से नगदी छीनने की गंभीर घटना के संबंध में पुलिस द्वारा अपराध क्रं. 46/26, धारा 304(2) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

एसपी ऑफिस में रविवार को हुई प्रेस कांफ्रेंस में एसपी जगदीश डावर द्वारा उक्त घटना का खुलासा किया गया। एसपी ने बताया कि 20 जनवरी 2026 को सुबह करीब 10.30 बजे माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत फरियादी दुर्गा आस्के ग्राम सालखेड़ा रोझानी एवं इंद्रपुर से कलेक्शन कार्य के बाद स्कूटी से जुलवानिया जा रही थी। इसी दौरान ग्राम इंद्रपुर मोहनपुरा के सूनसान क्षेत्र में दो अज्ञात बदमाशों ने उनका रूपयों से भरा बैग झपट लिया। जिसमें 40840 नगदी, टेबलेट, मशीन और कंपनी के आवश्यक दस्तावेज रखे थे।

दिए आवश्यक निर्देश

घटना की गंभीरता को देखते हुए राजपुर व नागलवाड़ी थाने की पुलिस टीमें गठित कर निर्देश दिए। राजपुर टीम ने वैज्ञानिक, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विनोद पिता सरदार बड़ोले उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम इंद्रपुर और आरोपी असलम पिता फैजु सैय्यद उम्र 22 वर्ष निवासी ईदगाह मोहल्ला बड़वानी को ग्राम बंधान बड़वानी से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 11000 नगदी बरामद की गई है। विनोद से 5000 और असलम से 6000 रूपए प्राप्त हुए। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक बाईक भी जब्त की है। अन्य दो आरोपी अनिल और गारदा की तलाश जारी है।

मूर्गी पालन व्यवसायी से हुई घटना को भी स्वीकार किया

पुछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने महिला से नगदी, टेबलेट और दस्तावेजों से भरा बैग छीनने की घटना को स्वीकार किया। साथ ही आरोपियों ने थाना नागलवाड़ी के अपराध क्रं. 18/2026, धारा 309(4) भारतीय दंड संहिता में 20 जनवरी 2026 को गवला घाटी मार्ग पर मूर्गी पालन व्यवसायी रईस अब्बास खान निवासी सेंधवा से धमकाकर 112000 से भरा बैग छीनने की घटना को भी स्वीकार किया। दोनों घटनाओं के मास्टरमाइंड आरोपी विनोद पिता सरदार बड़ोले हैं। जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त अपराध किए।

एक नजर में

भाग कर शादी करने वालों के परिवार का बहिष्कार

रतलाम। जिले की पिपलौदा तहसील के गांव पंचेवा के रहवासी अब भाग कर प्रेम विवाह करने वाले युवक युवती के परिवारवालों का बहिष्कार करेंगे। पंचेवा के रहवासियों ने मिलकर यह फैसला किया है। इतना ही नहीं ग्रामवासियों ने गांव के तीन परिवारों को बहिष्कृत करने की भी घोषणा की है। गांव वालों ने यह निर्णय भी लिया है कि जो कोई भी किसी बहिष्कृत परिवार से सम्बन्ध रखेगा, गांव के लोग उसका भी बहिष्कार करेंगे। पंचेवा के गांव वालों द्वारा लिए गए इस निर्णय का विडीयो सोशल मीडीया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे विडीयो में बहिष्कार के निर्णय की जानकारी देने वाला युवक विस्तार से इस निर्णय की जानकारी दे रहा है। वायरल विडीयो में युवक बता रहा है कि जिस भी परिवार के लडके लडकी भाग कर प्रेम विवाह करेंगे उस पूरे परिवार का गांव के लोग पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। ना तो उस परिवार में दूध दिया जाएगा ना ही किसी दुकान से कोई सामान बेचा जाएगा। वायरल विडीयो में यह भी बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति गांव द्वारा बहिष्कृत किसी परिवार से किसी भी तरह का सम्बन्ध रखेगा, उसका भी गांव वालों द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। वायरल विडीयो में बहिष्कार की जानकारी देने वाला व्यक्ति बहिष्कृत किए गए तीन परिवारों के नाम भी घोषित करता हुआ नजर आता है। गांव वालों द्वारा बहिष्कार के निर्णय की घोषणा के बाद अब यह सवाल खडा हो रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा दिए गए नागरिक अधिकारों को किसी गांव के लोग कैसे समाप्त कर सकते है? यदि दो बालिग युवक युवती अपनी स्वेच्छा से विवाह करते है तो इसमें उनके परिवारों को दोषी कैसे माना जा सकता है।

बाल विवाह की सूचना पर त्वरित कार्रवाई कर विवाह रुकवाया

रतलाम। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि विगत 24 जनवरी को दूरभाष के माध्यम से दीनदयाल नगर क्षेत्र में बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई। शिकायत की जांच हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी श्रीमती अर्चना माहौर अपनी टीम एवं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। जांच के दौरान बालिका के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी आयु 16 वर्ष 11 माह पाई गई। मौके पर बालिका के माता-पिता को समझाइश दी गई कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही किया जाए। समझाइश के उपरांत माता-पिता द्वारा सहमति व्यक्त की गई तथा उनके लिखित कथन भी लिए गए। माता-पिता को पुन: निर्देशित किया गया कि वे कानून का पालन करते हुए बालिका का विवाह निर्धारित आयु पूर्ण होने के पश्चात ही करें।

रेलवे स्टेशन से लेकर लॉज तक की जांच

नवभारत न्यूज
रतलाम। शहर की सुरक्षा व्यवस्था तथा शहर में विभिन्न आयोजनों को देखते हुए रतलाम पुलिस ने शहर के महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की चैकिंग व निरीक्षण किया जा रहा है। आपातकालीन स्थिति में पुलिस, प्रशासन व संस्थानों की क्या सुरक्षा तैयारियां है इसका भी जायजा लिया जा रहा है।

गणतंत्र दिवस को लेकर महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा चाकचौबंद

जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ व बेहतर बनाने हेतु विशेष चैकिंग के दिशा निर्देश दिए गए है।

निर्देशों पर अति पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम ग्रामीण विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में रविवार को रतलाम पुलिस एवं बी.डी.डी.एस. टीम के साथ रतलाम एवं जावरा शहर सहित जिले के प्रमुख स्थानों एवं होटल, लॉज धर्मशालाओं की चेकिंग की गई। पुलिस अधिकारियों द्वारा आम जन से अपील की कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपके यहां रुकने को आए या किसी की गतिविधि संदिग्ध लगे तो तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।

संदिग्ध वस्तुओं को जांचा

पुलिस टीम द्वारा शहर के रेल्वे स्टेशन व बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्रों एवं सरायों की भी चेकिंग की गई। महत्वपूर्ण स्थानों पर संदिग्ध वस्तुओं की विशेष व सघन चैकिंग, पुलिस डॉग की सहायता से एवं एच.एच.एम.डी आदि उपकरणों के द्वारा जांच की गई।

बाजना पुलिस ने पकड़ी लाखों की शराब

नवभारत न्यूज
रतलाम। पुलिस के विशेष अभियान के तहत रविवार को लाखों रूपए की शराब बाजना पुलिस ने पकड़ी हैं। आरोपी ने टपरी में छूपा कर रखी थी शराब।

थाना बाजना पुलिस को मुखबिर से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि गोविंद पिता मंजी डिंडोर, निवासी करबलखोरा, थाना बाजना द्वारा अपने मकान के सामने बनी चद्दर वाली टापरी में भारी मात्रा में अवैध शराब संग्रहित की गई है। सूचना की तस्दीक उपरांत तत्काल पंचानों को तलब कर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई। पुलिस को देखकर आरोपी गोविंद जंगल की ओर भाग गया, जिसका पीछा किया गया, किंतु वह जंगल का लाभ उठाकर फरार हो गया। आरोपी गोविंद पिता मंजी डिंडोर, निवासी करबलखोरा थाना बाजना के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की तलाश हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के घर के पास बनी टापरी की विधिवत तलाशी में लंदन प्राइड अंग्रेजी शराब3 पेटी (क्वार्टर)कुल मात्रा 25.92 बल्क लीटर,55 पेटी पावर 10000 बीयर (500-500 कैन) कुल मात्रा 660 बल्क लीटर अनुमानित कीमत 1,82,880 रूपाए की जब्त की।

इनकी रही सराहनीय भूमिका

इस सफल कार्रवाई में निम्न पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विशेष भूमिका रही निरीक्षक मनीष डावर, उप निरीक्षक रामसिंह खपेड़, प्र.आर. 154 शैलेन्द्र सिंह, प्र.आर. 656 नीरज त्यागी, प्र.आर. 80 ज्ञानेन्द्र, आर. 954 प्रेमसिंह निनामा, आर. 832 सन्नी मईड़ा, आर. 1161 शंकर शिंदे, आर. 1165 दरबार जमरा।

कार्यक्रम आयोजित

रतलाम। आदर्श स्वयं सहायता समूह की सदस्य श्रीमती कृष्णा कपासीया निवासी ग्राम कंसेर तहसील पिपलोदा जिला रतलाम ने नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अभिनंदन समारोह 'समृद्ध दीदी से समृद्ध राष्ट्र' कार्यक्रम में अपनी प्रेरक सफलता की कहानी साझा की।

भगवान देवनारायणजी जन्मोत्सव पर शहर में निकली भव्य शोभायात्रा

रतलाम। भगवान देवनारायणजी के जन्मोत्सव के अवसर पर रविवार को नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। यह शोभायात्रा प्रात: 10 बजे त्रिपोलिया गेट से प्रारंभ हुई, जिसमें समाजजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रा में भगवान देवनारायणजी की आकर्षक सजीव झांकी, ढोल-नगाड़े, पारंपरिक वेशभूषा में समाज के युवक-युवतियां शामिल रहे, जिससे मार्ग भक्तिमय वातावरण में गूंज उठा। शोभायात्रा त्रिपोलिया गेट से प्रारंभ होकर चांदनी चौक, चोमुखीपुल, धानमंडी, नाहरपुरा चौराहा, कॉलेज रोड, नगर निगम चौराहा, महलवाड़ा, धावरिया बाजार, चार चक्की चौराहा एवं रत्नेश्वर रोड से होती हुई गुजर मोहल्ला स्थित श्री देवनारायण मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा मार्ग पर जगह-जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान दोपहर में मंदिर परिसर में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। इसके पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया। आयोजन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज के स्वयंसेवक एवं पुलिस बल तैनात रहा। उल्लेखनीय है कि भगवान देवनारायणजी जन्मोत्सव एवं भव्य शोभायात्रा का यह आयोजन लगातार नौवें वर्ष संपन्न हुआ। आयोजन का दायित्व समस्त गुजर समाज, जिला रतलाम द्वारा निभाया गया।

देश की नीतियों को तय करने में मतदाता की अहम भूमिका : कलेक्टर

नवभारत न्यूज
रतलाम। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का ध्येय वाक्य 'वोट जैसा कुछ भी नहीं, वोट जरुर डालेंगे हम ', निर्धारित किया गया है। रतलाम जिले के आर्ट एंड साइंस कॉलेज में आज 16 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी ने कहा कि वोट लोकतंत्र की ताकत है, नए युवा जागरूक मतदाता बन कर देश के विकास मे अपनी भूमिका का निर्वहन करे , जागरूकता संबंधी गतिविधियों में निरंतर बनाए रखी जाना चाहिए। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस ऐसा पर्व है जिसके माध्यम से देश की दशा और दिशा तय होती है। वोट के माध्यम से ही मतदाता देश की नीतियां तय करता है। सरकारी नीतियों के प्रति सहमति और असहमति व्यक्त करने का सशक्त माध्यम वोट ही है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा कि मतदान अधिकार है और नागरिकों की शक्ति है, इसलिए मतदान अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम मे युवा मतदाता नारायण बैरागी और पार्थ गुप्ता को फॉर्म नंबर 6 अतिथियों द्वारा प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन उद्बोधन दिया जिसे सभी के द्वारा देखा और सुना गया। कार्यक्रम मे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती मिशा सिंह ने सभी को संकल्प कराया कि 'हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगें। कार्यक्रम के दौरान एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव, नगर निगम आयुक्त अनिल भाना, रतलाम शहर एसडीएम आर्ची हरित, एडिशनल एसपी राकेश खाखा, कॉलेज के प्राचार्य डॉ वाय के मिश्रा, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, उपसंचालक सामाजिक न्याय श्रीमती संध्या शर्मा, स्कूल शिक्षा विभाग से जितेंद्र जोशी, पी एच ई से आनंद व्यास, तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ पदाधिकारी शरद शुक्ला सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद थे।

पद्मश्री डॉ लीला जोशी ने कहा कि जागरूक मतदाता बने

गंभीर आरोप के बाद भी कार्रवाई नहीं,अब मुख्यमंत्री को शिकायत

नवभारत न्यूज
जावरा। उच्च शिक्षा विभाग में पदनाम वितरण में कथित सेटिंग और भेदभाव के गंभीर आरोपों के मामले में एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। सेवानिवृत्त वरिष्ठ सह प्राध्यापक डॉ. मदनलाल गांगले द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायत पत्र पर अब तक न तो विभागीय स्तर पर जवाब दिया गया है और न ही किसी प्रकार की जांच शुरू हुई है। यह मामला सिर्फ एक सह प्राध्यापक से संबंधित नहीं हैं, ऐसे कई सह प्राध्यापक हैं, जो अब भी प्राध्यापक पदनाम से वंचित हैं और पदनाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं! आखिरकार ऐसा कब तक चलता रहेगा! इससे राज्य के कई विषयवार सह प्राध्यापकों में असंतोष व्यक्त किया है।

डॉ. गांगले का आरोप है कि पात्रता पूर्ण होने के बावजूद उन्हें भी पिछले 16 वर्षों तक प्राध्यापक पदनाम से वंचित रखा गया, जबकि उनसे कनिष्ठ कई सह प्राध्यापकों को पदनाम दे दिया गया। उन्होंने कई बार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल, उच्च शिक्षा मंत्रालय भोपाल को पत्राचार और स्मरण पत्र भेजे, लेकिन फाइलें दबा दी गईं। कोई सुनने को तैयार नहीं हैं! दिसंबर 2023 में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रतलाम से सेवानिवृत्त होने के बाद यह मामला उनके सम्मान और आर्थिक अधिकारों से भी जुड़ गया है। पीड़ित प्राध्यापक डॉ गांगले ने मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच, कनिष्ठों को दिए गए पदनामों की समीक्षा और पदनाम देने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करके तथा लंबित आर्थिक लाभों के भुगतान की मांग की है।

बावजूद इसके, जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। इस निष्क्रियता से उच्च शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रकरण से जुड़े एवं म.प्र. प्राध्यापक संघ के पूर्व सदस्य डॉ. मदनलाल गांगले ने शेष बचे प्राध्यापक पदनाम से वंचित रहे विषयवार सह प्राध्यापकों को पदनाम देने की मांग की है।